



सं.ए.-20011/26/2018-हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police
Wireless



खंड -9,के.स.का.परिसर Block No.9, C.G.O.Complex,
लोधी रोड नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक: 30 मई, 2024

परिपत्र

विषय :- हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 02 अप्रैल, 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11027/01/2016-हिन्दी द्वारा परिचालित अनुदेशों के अनुपालन में इस निदेशालय के मुख्यालय और अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करते हैं, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निदेशालय में प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है।

2. उपर्युक्त योजना में प्रत्येक कार्यालय के लिए नकद पुरस्कार की राशि निम्नलिखित है :-

पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार)	: 5000/-रुपये प्रत्येक
दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार)	: 3000/-रुपये प्रत्येक
तीसरी पुरस्कार (पाँच पुरस्कार)	: 2000/-रुपये प्रत्येक


3. अपना पूर्ण कामकाज मूलरूप से हिंदी में करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारी और अधिकारी जो 'क' और 'ख' क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 20,000 शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी एक वर्ष में कम से कम 10,000 शब्द हिंदी में लिखते हैं वे इस योजना में भाग ले सकते हैं।

4. अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गये हिंदी कार्य के मूल्यांकन के लिए मूल रूप से टिप्पण और आलेखन के अतिरिक्त हिंदी में किये गये अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्ट्रों में इन्द्रराज, सूचियां बनाना, लेखा कार्य आदि भी शामिल किये जा सकते हैं।

5. जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, उड़िया और असमिया हैं उन्हें 20% तक अकों का लाभ दिया जायेगा ऐसे व्यक्ति अपना हिंदी का ब्यौरा भेजते समय अपनी मातृभाषा का भी उल्लेख करें।

6. मुख्यालय, पोलनेट हब स्टेशन, केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान तथा अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हिंदी में किए गये अपने कार्य का सम्पूर्ण ब्यौरा संलग्न प्रपत्र में भरकर उचित माध्यम द्वारा 30 जून 2024 तक हिंदी अनुभाग को अवश्य भेजने का कष्ट करें, इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले ब्यौरों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. कार्य का ब्यौरा शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/ केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रति माह प्रमाणित होना चाहिए और इसके साथ संलग्न नमूने के अनुसार एक प्रमाण पत्र भी दें कि प्रतियोगी द्वारा किए गए हिंदी कार्य का ब्यौरा सही है। अग्रेषित करने वाले अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वह कार्य का ब्यौरा भेजते समय प्रत्येक प्रतियोगी को विचारों की स्पष्टता के लिए कुल 30 अकों में से अंक भी प्रदान करें।


(विद्याधर)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव : सादर सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय) व अपर निदेशक (संचालन) के निजी सचिव : सादर सूचनार्थ।
3. सभी अनुभाग अधिकारी/ सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र अधीक्षक।
4. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वंदे मातरम मार्ग, नई दिल्ली।
5. सहायक निदेशक, पोलनेट हब, समन्वय सदन सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली।
6. संचार/बीजलेख केंद्र, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली।
7. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पदनाम.....
अनुभाग/संस्थान/अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन.....द्वारा 01-04-2023 से 31-03-2024 तक
हिंदी में किए गए सरकारी कार्य का ब्यौरा।

(टिप्पणी) - यह प्रपत्र नमूने के तौर पर है इस के आधार पर प्रपत्र तैयार करके प्रत्येक माह हिंदी कार्य का विवरण अलग-अलग भरा जाए। यह भी सुनिश्चित करें की सूचना पूर्ण एवं सही हो और वह अनुभाग/स्टेशन पर हिंदी कार्य के ब्योरे के रजिस्टर से मेल खाती हो। जिन फाइलों व रजिस्ट्रों इत्यादि में हिंदी में कार्य किया है उनका पूरा विवरण दें।

क्र.सं.	तिथि	कुल फाइलों,रजिस्ट्रों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया	हिंदी में लिखे गए टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए और काम		तत्काल अधिकारी/उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (प्रत्येक माह)
				संक्षिप्त ब्योरा	शब्दों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पदनाम.....
मातृभाषा.....जो कि अनुभाग/संस्थान/अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन.....में कार्यरत
हैं द्वारा 01.04.2018 से 31.03.2019 तक प्रस्तुत हिंदी में किए गए सरकारी कार्य का ब्योरा सही है। हिंदी
में किए गए कार्य की प्रविष्टी अनुभाग/संस्थान/स्टेशन में उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में की गई है तथा उस
पर तत्काल अधिकारी/उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। विचारों की स्पष्टता के लिए कुल 30
अंकों में से अंक प्रदान किए जाते हैं।

अंग्रेषित करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मोहर